सं.5/1/2014.स्था.II
भारत सरकार
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय,
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001

विज्ञापन

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे एक अग्रणी संस्थान है, जो नदी सुलभता मार्ग और बाढ़ नियंत्रण, जलीय संरचनाएँ, पत्तनों, तटीय संरक्षण, बुनियादी इंजीनियरिंग, निर्माण सामग्री, पम्प और टरबाईन्स, पोत द्रवगति विज्ञान, पुलों के जलीय अभिकल्प, पर्यावरणीय अध्ययन, भू-विज्ञान और जल अंतर्ग्राही शीतलन में भौतिकी तथा गणितीय प्रतिमान अध्ययनों के माध्यम से विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान कर रहा है ।

2. केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे जो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय है, में रूपए 37,400 - 67,000 + रूपए 10,000 वेतन बैंड-4 के ग्रेड वेतन के वेतनमान में निदेशक के एक पद को प्रतिनियुक्ति (जिसके अंर्तगत अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर ऐसे अधिकारियों में से जो केन्द्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या लोक उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त संस्थाओं या अर्धसरकारी या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के अधीन (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-4 के वेतनमान 37400-67000 रुपये + ग्रेड वेतन 8900 या सम तुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वहाँ दो वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-4 के वेतनमान 37000-67000 रुपये + ग्रेड वेतन 8700 या सम तुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वहाँ तीन वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास द्रव इंजीनियरी या द्रविक विन्यास या जल संसाधन या तटीय इंजीनियरी के क्षेत्र में या द्रविक अनुसंधान के अन्य क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त अनुसंधान का अनुभव है भरा जाना है । पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

3. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति सहित, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । नियुक्त किए गए अधिकारी का वेतन कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5.1.1994 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/29/91-(वेतन-II) के अनुसार नियमित किया जाएगा जो, समय-समय पर संशोधित किया गया है ।

4. इच्छुक और पात्र अधिकारी निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध-क) में अपने आवेदन (तीन प्रतियों में) श्री एस. के. कटारिया, अवर सचिव (ई-II), जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय, कमरा नं 633, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001 को, इस विज्ञापन के जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर उचित माध्यम से भेज सकते हैं । (इ-मेल – sk.kataria25@nic.in) । असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख डिवीजन, लाहौल स्पिति जिला और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के पांगी उप प्रभाग, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप या विदेशों में रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की तिथि विज्ञापन प्रकाशन की तारीख से 67 दिनों के भीतर समाप्त होगी ।

आवेदन भेजते समय, अधिकारी की पिछले पाँच वर्षों की एसीआर की अनुप्रमाणित फोटो कॉपी, सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र और पिछले दस वर्ष के लिए किसी प्रकार के दंड संबंधी प्रमाणपत्र, आदि सहित संवर्ग/ प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है और अधिकारी के विरूद्ध कोई सतर्कता / अनुशासनिक मामला लंबित नहीं है। आवेदन तिथि समाप्ति के पश्चात या बिना एसीआर प्रतियाँ / सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र / दंड संबंधी प्रमाण पत्र/सतर्कता प्रमाणपत्र या अन्यथा अधूरे प्रपत्र आदि पर विचार नहीं किया जाएगा ।

5. यह विज्ञापन मंत्रालय की वेब साइट www.wrmin.nic.in पर भी उपलब्ध है ।